

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-24102026-277409
SG-DL-E-24102026-277409असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 2026/आश्विन 30, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 263
No. 319]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2026/ASVINA 30, 1948	[N. C. T. D. No. 263

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIशहरी विकास विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2026

फा. सं. यूडी-एचएच 01 (1)/5/2025-एलबी-यूडी/ (सीडी-021811815)/3382.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 347 क की उपधारा (2) के साथ पठित अधिनियम, 1993 (2023 में यथासंशोधित) की धारा 45घ (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अमित कुमार की दिल्ली नगर निगम के अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि को एक और वर्ष के लिए तत्काल प्रभाव से दिनांक 06.10.2026 से दिनांक 05.10.2027 तक विस्तारित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मनोज कुमार द्विवेदी, विशेष सचिव

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 22nd October, 2026

F. No. UD-HH01(1)/5/2025-LB-UD/(CD-021811815)/3382.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 347A of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957), read with Section 45D(a) of Act, 1993 (as amended in 2023), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby extends the term of deputation of Sh. Amit Kumar, an officer of the Delhi Higher Judicial Services, as Presiding Officer of Appellate Tribunal, Municipal Corporation of Delhi, for a further period of one year with effect from 06.10.2026 to 05.10.2027.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

MANOJ KUMAR DWIVEDI, Spl. Secy.